

**कार्यालय आदेश**

सक्षम प्राधिकारी को यह प्रसन्नता है कि श्री ललन कुमार झा, सहायक पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) को पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) के पद पर स्तर-8 (₹ 47600-151100/-) वेतन मैट्रिक्स तालिका में पदोन्नत किया जाता है, जो दिनांक 01.02.2026 (पूर्वाह्न) से अथवा उनके वास्तव में पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने, जो भी बाद में हो, तथा अगले आदेश तक प्रभावी है।

श्री झा, जो वर्तमान में मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, दिनांक 01.02.2026 को रविवार होने के कारण, 02.02.2026 को पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने हेतु इस कार्यालय के प्रशासन-I अनुभाग में रिपोर्ट करेंगे।

वह इस कार्यालय आदेश के निर्गमन की तिथि से एक माह के भीतर FR 22-(I)(a)(1)/CCS (RP) नियम, 2016 के के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प दे सकते हैं।

यदि इस संबंध में कोई मामला न्यायाधिकरण या न्यायालय में लंबित है, तो यह पदोन्नति माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण(सी.ए.टी.)/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी तथा इससे उनके वरिष्ठों के दावों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (भाग-II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा-5 के अनुसार, पदोन्नतियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन है।

श्री झा की पदोन्नति डीओपी व टी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.09.1992 में निहित शर्तों के अधीन है।

इस कार्यालय आदेश द्वारा दी गई पदोन्नति, मुख्यालय से प्राप्त होने वाले पश्चातवर्ती स्पष्टीकरणों/आदेशों/निर्देशों के आधार पर पुनरीक्षित की जा सकती है।

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

**सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रतिलिपि अग्रेषित:**

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता – 700 001।
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता – 700 064।
3. सचिवालय, वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-I एवं प्रशासन) / वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-II) / उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-III/नॉन-एल.ए.डी.) / उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV)।
4. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, 5वीं मंजिल, साल्ट लेक, कोलकाता – 700 064।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली – 110 124। (श्री झा को इस कार्यालय में पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध है।)
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा)/विशेष प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग्स, कोलकाता – 700 001।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, 5वीं मंजिल, साल्ट लेक, कोलकाता – 700 064।
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-2/3/4/5/कल्याण/ए.एम.जी.-I (मुख्यालय)/ए.एम.जी.-II (मुख्यालय)/ए.एम.जी.-III नॉन-एल.ए.डी. (मुख्यालय)/ए.एम.जी.-IV (मुख्यालय)/ईसीपीए/एफएडब्ल्यू/रिपोर्ट/डीएस/आईटीए)।
9. ई.डी.पी. अनुभाग – आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. सचिव, श्रेणी-III संघ, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल।
11. सभी अनुभाग।
12. श्री ललन कुमार झा, सहायक पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा)।
13. वरिष्ठता सूची/कर्मचारी स्थिति।
14. सूचना पट्ट।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-I)